

(नियम 13)
{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}
 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर आर.ए.एस.

मांगूराम पुत्र सुरजा जाति माली निवासी पाराकाली ढाणी बागोरियों की ढाणी तन चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।	-बनाम-	झाबरमल पुत्र भानाराम जाति माली निवासी पाराकाली ढाणी, बागोरियों की ढाणी तन चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान आदि।
किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र कैवियट अन्तर्गत धारा 148(ए) जाब्ता दीवानी		मु.नं. / 2023 RCMS No
आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
03.07.23	प्रार्थना पत्र बाबत कैवियट आवेदक मांगूराम पुत्र सुरजा जाति माली निवासी पाराकाली ढाणी बागोरियों की ढाणी द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तलबी अनावदेकगण की जारी हो। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के संबंध में वाद-प्रस्तुत होने पर आवेदक को सुना जाने हेतु प्रार्थना पत्र तलब की जावे। पत्रावली दिनांक 21/9/23 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ जिला झुन्झुनू	21/9/23
21/9/23	पत्रावली पेश हुई। वकील पसकाशाव उपस्थित / पंठ पीन अधिकारी महोदय दीगर कार्यों / चुनाव कार्यों में व्यस्त हैं। पत्रावली वास्ते प्राश्नम कार्यवाही दिनांक 21/9/23 को पेश हो।	
21/9/23	पत्रावली पेश। वकील उपस्थित। यत आवेदकानुसार पत्रावली आवेदक दिनांक 21/9/23 को पेश हो।	
27.10.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पसकाशाव उपस्थित / पीठासीन अधिकारी महोदय दीगर कार्यों / चुनाव कार्यों में व्यस्त हैं। पत्रावली वास्ते प्राश्नम कार्यवाही दिनांक 21/11/24 को पेश हो।	
21/12/24	पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फरीकोत उपस्थित। वकील बदी / प्रतिवादी ने तलबी हेतु पुन आवेदक वाहा। आवेदक दिया जाता है, मिसल दिनांक 13/3/24 को पेश हो।	
13/3/24	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उप.। कैवियट सा. 45 को फरीकोत - 3 साह से अधिक समझा होने पर साह पत्र को आगे चलाने का कोई भी विकल्प नहीं। अतः सा. पत्र को रवारिग किया जाता है। पत्रावली पेश करने वाले पत्र नम्बर से लगता है।	13/3/24

